FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी :–

सरकार दीपसिंह वगैरह

प्रकरण संख्या :: 42 /2023

(जी0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2023/77)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.2.2023	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर पुलिस थाना रोहट के प्रकरण संख्या 311/2022 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 4(एफ)(एच)7(i)(ii) पेट्रोलियम अधिनियम व 379,420,285 भादस में जब्दशुदा वाहन मोटर साईकिल हिरो एच.एफ डीलक्स RJ-19 DE.9319 को सुपुर्दगीनामें एवं जमानत पर रिलीज किये जाने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना रोहट द्वारा प्रार्थी के उक्त वाहन को वास्ते वजह सबूत अपने कब्जे में ले रखा है, जब्तशुदा मोटर साईकिल की पुलिस अनुसंधान में आवश्यकता नही है, उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी का वाहन खुल्ले में पड़ा है जिससे उसके रंग रोगन, मशीनरी एवं गुणवता में भारी गिरावट होने की संभावना है। प्रार्थी प्रकरण के चलते उक्त वाहन का बेचाण हस्तान्तरण नहीं करेगा, न ही उक्त वाहन की भौतिक स्थिति में परिवर्तन करेगा तथा तलब करने पर उक्त वाहन अपने खर्चें पर हाजिर अदालत रखेगा। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा वाहन जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज कराने के आदेश प्रदान करावे। बहस सुनी गई जब्त सुदा मोटर साईकिल हिरो एच.एफ डीलक्स RJ-19 DE.9319 का प्रार्थी नरसिंहराम पुत्र श्री श्रवणराम जाति पटेल निवासी मोगडकला तहसील लूणी जिला जोधपुर स्वयं वाहन स्वामी है, न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी सुपुर्दगीनामा एवं जमानत पेश करने के लिए सक्षम है प्रार्थी के वाहन प्रकरण में वजह सबुत जब्त किया है, प्रार्थी/वाहन मालिक अगर 80000/–रूपये का जमानतनामा एवं वाहन को सुपुर्द करने हेतु नियमानुसार सुपुर्दगीनामा पेश करे तथा वाहन किसी को हस्तान्तरण नहीं करने तथा उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन नही करने एवं न्यायालय द्वारा वाहन मंगवाये जाने पर पेश करने की शर्तों पर वाहन सुपुर्द करने हेतु आदेश जारी किए जावे। पत्रावली सुपुर्दगीनामा एवं जमानती का जमानतनामा पेश करने हेतु दिनांक 17-2-2023 को उपस्थित हो। अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,पाली	